स्वैच्छिक क्षेत्रक संबंधी राष्ट्रीय नीति, 2007

प्रस्तावना

1.1 यह नीति स्वतंत्र, सृजक और प्रभावी स्वैच्छिक संगठन को इसके रूप में और कार्य में विविधता सहित बढ़ावा देने, समर्थ बनाने और सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता है, जिससे कि यह भारत के लोगों की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति में योगदान कर सके।

1.2 स्वैच्छिक क्षेत्रक ने जागरूकता बढ़ाने, सामाजिक जुटाव, सेवा डिलीवरी, प्रशिक्षण अनुसंधान और समर्थन जैसे साधनों के माध्यम से गरीबी, वंचन, भेद-भाव और बहिष्कार के अभिनव परिवर्तनशील हल तलाश करके महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। स्वैच्छिक क्षेत्रक लोगों और सरकार के बीच एक प्रभावी गैर-राजनीतिक लिंक के रूप में कार्य करता रहा है । यह नीति विभिन्न क्षेत्रों में स्वैच्छिक क्षेत्रक द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका की पहचान करती है और सरकार, स्वैच्छिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक, स्थानीय, प्रान्तीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तरों पर सहयोग की बढ़ती हुई आवश्यकता की पुष्टि करती है।

2. नीति का क्षेत्र

2.1 इस नीति में स्वैच्छिक संगठनों (वीओज़) में नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक अध्यात्म, लोकोपकारी अथवा वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय विचारों के आधार पर सार्वजनिक सेवा में लगे हुए संगठन अभिप्रेत हैं। इनमें औपचारिक और अनौपचारिक समूह,जैसे कि समुदाय आधारित संगठन (सीबीओज़), गैर- सरकारी विकास संगठन (एनजीडीओज़), धर्मार्थ संगठन, सहायता संगठन, ऐसे संगठन जो नेटवर्क हैं अथवा ऐसे समूहों के संघ और व्यावसायिक सदस्यता वाले एसोसिएशन शामिल हैं।

2.2 नीति के अन्तर्गत कवर किए जाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों की व्यापक रूप से निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए :

- वे निजी हैं, अर्थात् सरकार से अलग हैं।
- वे सृजित लाभ को अपने मालिकों अथवा निदेशकों को नहीं देते हैं।

- वे स्व-शासी हैं, अर्थात् वे सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं।
- वीओज़ पंजीकृत संगठन अथवा अनौपचारिक समूह हैं, जिनके लक्ष्य परिभाषित हैं।

3. नीति के लक्ष्य

3.1 इस नीति के विशिष्ट लक्ष्य नीचे दिए गए हैं।

3.1.1 वी ओज़ के लिए एक सशक्त वातावरण का सृजन करना जिससे उद्यम तथा प्रभाविता हो, और उनकी स्वायत्तता की सुरक्षा हो सके।

3.1.2 वीओज़ को वैध रूप से भारत तथा विदेशों से आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाने के योग्य बनाना।

3.1.3 ऐसी प्रणालियों की पहचान करना जिससे सरकार और वीओज़ एक साथ आपसी विश्वास तथा सम्मान के सिद्धान्तों और सांझे उत्तरदायित्व के आधार पर काम कर सकें ; और

3.1.4 वीओज़ को शासन तथा प्रबंधन की पारदर्शी व जवाबदेह प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना ।

इन लक्ष्यों को किस प्रकार अनुबन्ध किया जाना है इसका वर्णन नीचे पैरों में किया गया है।

4. स्वैच्छिक क्षेत्रक के लिए सशक्त वातावरण बनाना

4.1 वीओज़ स्वतंत्र होने के कारण विकास के वैकल्पिक प्रतिमानों का पता लगा सकते हैं, सार्वजनिक हितों के विरूद्ध होने वाली सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मान्यताओं को चुनौती दे सकते हैं, और गरीबी, वंचन तथा अन्य सामाजिक समस्याओं का मुकाबला करने के नए तरीके खोज सकते हैं। अतः यह महत्त्वपूर्ण है कि वीओज़ से संबंधित सभी कानून, नीतियाँ, नियम और विनियम उनकी जवाब देहिता सुनिश्चित करने के साथ-साथ स्पष्ट रूप से उनकी स्वायत्तता की सुरक्षा करें।

4.2 स्वैच्छिक संगठनों को केन्द्रीय अथवा राज्य नियमों के अंतर्गत सोसाइटियों, धर्मार्थ ट्रस्टों अथवा अलाभप्रद कम्पनियों के रूप में पंजीकृत किया जाए। कुछ राज्यों ने सोसाइटीज़ पंजीकरण अधिनियम (1860) को संशोधन सहित, अपनाया है, जबकि अन्य राज्यों के स्वतंत्र कानून हैं। इसी तरह, धर्मार्थ ट्रस्टों से संबंधित नियम सभी राज्यों में अलग-अलग हैं। समय के साथ, इनमें से बहुत कानून तथा उनके समनुरूपी नियम जटिल व प्रतिबंधक हो गए हैं जिसके परिणामस्वरूप विलम्ब, उत्पीड़न व भ्रष्टाचार बढ़ा है। सरकार और स्वैच्छिक क्षेत्रक के बीच परस्पर क्रिया के लिए नोडल एजेंसी के रूप में योजना आयोग राज्य

सरकारों को प्रचलित कानूनों और नियमों की समीक्षा करने और उन्हें सरल, उदार तथा यथा-संभव योक्तिक बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। गैर-लाभप्रद कम्पनियों का पंजीकरण सुकर बनाने के लिए, सरकार कम्पनी अधिनियम (1956) के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उपायों की जाँच करेगी, इसमें लाइसेंस, पंजीकरण और सदस्य कर्मचारियों का पारिश्रमिक भी शामिल होगा।

4.3 सरकार एक सरल और उदार केन्द्रीय कानून बनाने की संभाव्यता की जाँच भी करेगी, जो वीओज़ के पंजीकरण के संबंध में एक वैकल्पिक अखिल भारत अधिनियम के रूप में कार्य करेगा, विशेष रूप से उनके लिए जो देश के विभिन्न हिस्सों में, और विदेशों में भी कार्य करने की इच्छा रखते हैं। इस तरह का कानून प्रचलित केन्द्रीय और राज्य कानूनों सहित सह-विद्यमान होगा, जिसमें प्रकृति और इसके कार्यकलापों के क्षेत्र के आधार पर वीओज़ को एक अथवा अधिक कानूनों के अंतर्गत विकल्प की अनुमति होगी।

4.4 स्वैच्छिक क्षेत्रक विशेष रूप से इसके अभिशासन, जवाबदेही और पारदर्शिता पर सार्वजनिक चर्चा होती रही है। व्यापक रूप से यह माना जाता है कि स्वैच्छिक क्षेत्रक को उपयुक्त स्व-विनियमन के माध्यम से इन मुद्दों का समाधान करना चाहिए । सरकार इस तरह के विकास को प्रोत्साहित करेगी और तत्पश्चात् स्वैच्छिक क्षेत्रक के लिए एक स्वतंत्र, राष्ट्र-स्तरीय स्व-विनियामक एजेंसी को मान्यता देगी।

4.5 इसके साथ ही, स्वैच्छिक क्षेत्रक में व्यापक सार्वजनिक संवीक्षा आरंभ करके इसमें सार्वजनिक निष्ठा को कायम करने की आवश्यकता है। सरकार उन स्वैच्छिक संगठनो को जो सरकारी एजेंसियों से निधियन प्राप्त करते रहे हैं, के संबंध में सार्वजनिक निरीक्षण की प्रवृति को अंतर्निविष्ट करने के लिए केन्द्र और राज्य स्तर पर ऐसे दस्तावेज सार्वजनिक क्षेत्र में प्रस्तुत करने के लिए एजेंसियों को मानदंड शुरू करने हेतु प्रोत्साहित करेगी (इंटरनेट के माध्यम से आसान पहुँच के साथ)।

4.6 सार्वजनिक चन्दा स्वैच्छिक क्षेत्रक संबंधी निधियों का एक महत्त्वपूर्ण साधन है, जो कि पर्याप्त रूप से बढ़ना चाहिए। कर प्रोत्साहन इस प्रक्रिया में एक सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। स्टॉक और शेयर आजकल देश में धन का एक महत्त्वपूर्ण रूप हैं। वीओज़ को शेयरों के अंतरण और स्टॉक विकल्प को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार इस तरह के चन्दे हेतु टैक्स छूट का प्रस्ताव रखेगी। सरकार आयकर अधिनियम के अंतर्गत धर्मार्थ परियोजनाओं को दी जाने वाली आयकर छूटों की प्रणाली को सरल और सुकर भी बनाएगी। इसके साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए, कि प्रोत्साहनों का निजी वित्तीय लाभ लेने हेतु चैरिटीज़ द्वारा दुरूपयोग न हो, सरकार प्रशासन की कड़ाई और दंड प्रक्रियाओं पर विचार करेगी।

4.7 स्वैच्छिक संगठनों का अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण ऐसे संगठनों तथा देश में उनके कार्य का समर्थन करने में लघु दिखाई देता है, परंतु महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विदेशी वित्त पोषण प्राप्त करनेवाला कोई भी संगठन विदेशी सहयोग (विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। यह कानून उच्च रूप से कड़े जाँच मानदण्डों का दावा करता है जो वीओज द्वारा विदेशी निधियां प्राप्त करने में अक्सर प्रतिबंध लगाता है । अनुमोदन होने पर ये निधियां एक ही बैंक खाते में रखी जानी चाहिए, इससे भिन्न-भिन्न स्थानों पर काम कर रहे वीओज़

को बहुत कठिनाइयां होती हैं। सरकार वीओज़ के संबंध में एफसीआरए की समीक्षा करेगी और संबंधित मंत्रालय द्वारा गठित किए जाने वाले संयुक्त परामर्शी दल के परामर्श से समय-समय पर स्वैच्छिक क्षेत्रों पर लागू इसके प्रावधानों को सरल बनाएगी (पैरा 5.4 में दिए गए सुझाव के अनुसार)।

4.8 केन्द्र सरकार ने सामाजिक और आर्थिक महत्व की परियोजनाओं के लिए स्वैच्छिक संगठनों को प्रत्यक्ष रूप से सहायता देने के लिए द्विपक्षीय एजेंसियों हेतु दिशा निर्देश तैयार किए हैं। यह दोनों, एफसीआरए और आर्थिक कार्य विभाग द्वारा विनियमन के माध्यम से इस प्रकार की निधियों तक पहुंच का नियंत्रण करता है। इस प्रणाली को संबंधित मंत्रालय द्वारा गठित संयुक्त परामर्शी दल के परामर्श से सरल बनाए जाने की आवश्यकता है (पैरा 5.4 में दिए गए सुझाव के अनुसार) ।

4.9 सरकार सभी संबंद्ध केन्द्रीय और राज्य सरकारी संस्थाओं को सेवापूर्व और सेवा के अंदर स्वैच्छिक क्षेत्रक के साथ सकारात्मक संबंधों पर प्रशिक्षण मापकों को शुरू करने हेतु प्रोत्साहित करेगी। ऐसी संस्थाओं को स्वैच्छिक संगठनों के साथ सभी लेन-देनों हेतु समयबद्ध प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। इनमें पंजीकरण, आयकर निकासियां, वित्तीय सहायता तथा अन्य प्रक्रियाएं शामिल होंगी। संस्थाओं की शिकायतों को पंजीकृत करने और शिकायतों के निवारण हेतु औपचारिक पद्धतियां होनी चाहिए।

5. विकास में साझेदारी

5.1 स्वैच्छिक क्षेत्रक, विकास प्रक्रिया मे विशेषकर सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है । स्वैच्छिक संगठन, प्रतिबद्ध कौशल, स्थानीय अवसरों और दबावों की एक समझ तथा शायद सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समुदायों विशेषकर जो अलाभान्वित हैं, के साथ एक अर्थपूर्ण संवाद संचालित करने की क्षमता से निकाले गए वैकल्पिक प्रतिदर्श प्रस्तुत करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार और स्वैच्छिक क्षेत्रक एकरूपता प्राप्त करने हेतु एक साथ कार्य करें। जबकि संयुक्त प्रयासों के परिणाम पृथक प्रयासों से कहीं ज्यादा अधिक होते हैं। जहाँ व्यवहार्य हों, ऐसी साझेदारी में अन्य इकाईयां जैसे पंचायती राज संस्थान, नगर निगम, शैक्षिक संस्थान और निजी क्षेत्रक संगठन भी शामिल हो सकते हैं।

5.2 सरकार और स्वैच्छिक संगठनों के मध्य साझेदारी का अर्थ साझे उद्देश्यों को चिन्हित करना और सहायक भूमिकाओं को परिभाषित करना है। यह साझी जिम्मेदारी और प्राधिकारी के साथ आपसी विश्वास तथा सम्मान के मूल उद्देश्यों पर आधारित होना चाहिए। इसको सरकार और स्वैच्छिक संगठन में एक प्रमुख व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता है। ये सिद्धांत साझेदारी की शर्तों एवं नियमों में सुस्पष्ट होने चाहिएं। वे औपचारिक एवं गैर-औपचारिक सहयोगों की पद्धति में उजागर भी होने चाहिएं।

5.3 इस नीति में भागीदारी के तीन साधनों की पहचान की गई है अर्थात् (i) केन्द्र, राज्य और जिला स्तर पर अंतःक्रिया की औपचारिक प्रक्रिया के माध्यम से विचार विमर्श; (ii) जहां

दीर्घकालिक सतत् सामाजिक जुटाव महत्त्वपूर्ण है वहां जटिल हस्तक्षेपों को सुलझाने हेतु कार्यनीतिक सहयोग; (iii) तथा मानक स्कीमों के माध्यम से परियोजना का निधिकरण। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भागीदारी के इन तीन साधनों पर मंत्रालयों और राज्यों द्वारा तैयार की जाने वाली वार्षिक योजनाओं में समुचित ध्यान दिया जाए । तीन साधनों मे से प्रत्येक के संदर्भ मे की जाने वाली कार्रवाई के ब्यौरों पर नीचे चर्चा की गई है ।

5.4 सरकार संबंधित केन्द्रीय विभागों/मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त मंच/ परामर्श समूह अथवा संयुक्त मशीनरी स्थापित करने को प्रोत्साहित करेगी। ऐसा करने के लिए सरकार जिला प्रशासनों, जिला योजना निकायों, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, जिला परिषदों एवं स्थानीय सरकारों को भी प्रोत्साहित करेगी। विचारों, दृष्टिकोणों एवं सूचना को बांटने के विशिष्ट अधिदेश तथा सुअवसरों की पहचान एवं संयुक्त रूप से कार्य करने के मैकेनिज्म सहित ये समूह स्थायी मंच होंगे। इन समूहों/मंचों में स्वैच्छिक क्षेत्रक के सभी वर्गों को शामिल करने हेतु सरकार उपयुक्त मैकेनिज्म बनाएगी।

5.4.1 प्रमुख मुद्दों के समाधान के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर गठित संबंधित समितियों, कार्यदलों और सलाहकारी पेनलों में स्वैच्छिक संगठन के विशेषज्ञों सहित स्वैच्छिक संगठन की विशेषज्ञता का भी उपयोग किया जाएगा ।

5.5 देश कई जटिल समस्याओं का सामना करता है जिनकों अपनाए जाने वाले, बहुक्षेत्रकीय समाधानों की आवश्यकता है जिसमें विशेष रूप से सामाजिक एकीकरण चुनौतीपूर्ण है। इनमें गरीबी उन्मूलन,कौशल वर्धन, उद्यमिता विकास, महिला सशक्तिकरण, जनसंख्या स्थिरीकरण, एचआईवी/ एड्स को रोकना, जलसंसाधन, प्राथमिक शिक्षा और वन प्रबंधन कुछेक शामिल हैं। इन क्षेत्रों को राष्ट्रीय स्तर कार्यक्रमों जो कि अवधि में दीर्घकालिक हैं और वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने में बहुकार्यनीति, विधियों तथा गतिविधियों को इस्तेमाल करते हैं, के जरिए सरकार और स्वैच्छिक संगठनों के मध्य कार्यनीतिक सहयोग की तात्कालिक आवश्यकता है। सरकार स्वैच्छिक संगठन के साथ साझेदारी में कार्यान्वित होने वाले राष्ट्रीय सहयोगी कार्यक्रमों हेतु विशिष्ट उद्देश्यों को चिन्हित करेगी । प्रत्येक राष्ट्रीय सहयोगी कार्यक्रम एक हद तक बड़े पैमाने पर कार्य करने की योग्यता वाले प्रतिष्ठित, मझोले और बड़े स्वैच्छिक संगठनों के निश्चित समूह को शामिल करेगा। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे राष्ट्रीय सहयोगी कार्यक्रमों को योजना दस्तावेजों में उचित महत्त्व दिया जाए ।

5.6 सरकार एवं स्वैच्छिक संगठनों में तीसरा औजार परियोजना निधियन है। बहुत बड़ी संख्या में सरकारी संस्थाएं स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता हेतु स्कीमें चलाती हैं। ये स्कीमें सामान्यतः सर्वेक्षण, शोध, कार्यशालाओं, गोष्ठियों, वृत्तियों, जागरूकता बढ़ाने, प्रशिक्षण, जन कल्याण सुविधाओं के सृजन, जन कल्याण सुविधाओं को चलाने और इसी तरह की गतिविधियों के साथ सम्बद्ध हैं। परियोजना अनुदानें सरकार के लिए सीधे भाग लिए बिना

इसकी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु एक बहुत उपयोगी माध्यम है। वे लघु एवं मध्यम स्वैच्छिक संगठनों की सहायता के बहुमूल्य माध्यम भी हैं तो भी, सहायता अनुदान स्कीमों की प्रभाविता के संबंध में सरोकार वैध हैं। पुराने डिजाइन, मनमानी प्रक्रिया, अनुपयुक्त स्वैच्छिक संगठनों का चुनाव, कार्यान्वयन की खराब गुणवत्ता और निधि के दुरूपयोग कुछ ऐसे लक्षण हैं, जिनसे किसी स्कीम के उद्देश्य विफल हो सकते हैं। स्वैच्छिक संगठनों को वितरित की जाने वाली सरकारी निधियों की उचित जवाब देही और मानीटरिगं सुनिश्चित करने के लिए संबंधित सरकारी एजेंसियों को प्रोत्साहित किया जाएगा ।

5.6.1 कुछ केन्द्रीय एजेन्सियों को परियोजना निधीयन की प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण से अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। विभिन्न स्कीमों को सीधे कार्यान्वित करने के अलावा, वे अपनी ओर से ऐसा करने के लिए क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय मध्यवर्ती संगठनों को नियुक्त करते हैं। इससे स्वैच्छिक संगठनों का बेहतर चयन करने में और स्वैच्छिक संगठनों की बेहतर मानीटरिंग करने में परस्पर क्रिया होती है। मध्यवर्ती संगठन अम्बरेला स्वैच्छिक संगठनों, व्यावसायिक या शैक्षिक संस्थानों, राज्य सरकार की एजेन्सियों या बहु पणधारी स्थायी समितियों के अंतर्गत शामिल हो सकते हैं। योजना आयोग ऐसे विकेन्द्रीकृत निधियन के अनुभवों की समीक्षा करेगा और केन्द्रीय एजेन्सियों को उपयुक्त सिफारिशें करेगा।

5.6.2 यह विचार है कि स्वैच्छिक संगठनों के प्रत्यायन से बेहतर निधियन निर्णय होंगे और नीधियन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी। इसके अलावा, प्रत्यायन से बेहतर शासन, प्रबंधन और स्वैच्छिक संगठनों के निष्पादन को प्रोत्साहन मिल सकता है। बहरहाल, अब तक कोई भी वैध और विश्वसनीय प्रत्यायन प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है। सरकार वैकल्पिक प्रत्यायन पद्धति विकसित करने के लिए स्वैच्छिक क्षेत्र स्थित एजेन्सियों के साथ-साथ विभिन्न एजेन्सियों को प्रोत्साहित करेगी। इससे स्वैच्छिक संगठनों के सरकारी निधियन से संबंधित उनके आवेदनों पर विचार करने से पहले स्वैच्छिक क्षेत्र में ऐसी पद्धति पर विचार किए जाने, और स्वीकार्यता प्राप्त किए जाने के लिए समय मिल जाएगा।

6. स्वैच्छिक क्षेत्र को सुदृढ़ बनाना

6.1 भारतीय समाज में परोपकारिता की एक सुस्थापित परम्परा रही है। जबकि कर रियायतों की व्यवस्था धर्मार्थ संगठनों के लिए दान की सुविधा प्रदान करती है, सार्वजनिक सेवा हेतु निजी धन को उपलब्ध कराने की पर्याप्त संभाव्यता है। सरकार योग्य स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विद्यमान, और नये स्वतंत्र परोपकारी संस्थानों को मदद करेगी और प्रोत्साहित करेगी। वह सार्वजनिक और निजी अनुदान दाताओं के बीच बातचीत को भी बढ़ावा देगी जिससे कि वे अनुदान देने और निधियाँ एकत्र करने की श्रेष्ठ प्रणाली से फायदा उठा सकें।

6.2 सभी पणधारियों की जवाबदेही और कार्यकलाप में पारदर्शिता सुशासन के मुख्य मुद्दे हैं। स्वैच्छिक क्षेत्र से आशा की जाती है कि वह अपने खुद के बेंचमार्क्स निर्धारित करे जो उन्नत शासन हेतु बराबर दबाव बनाए रखे। चूँकि स्वैच्छिक संगठनों के उद्देश्यों एवं कार्यकलापों में अंतर होता है, इसलिए जवाब देही एवं पारदर्शिता हेतु सभी के लिए एक समान मानदण्ड निर्धारित करना अव्यवहारिक है। इससे उपयुक्त सहायक संगठनों और स्वैच्छिक संगठन नेटवर्क तथा परिसंघों को इस मुद्दे पर चर्चा, विचार-विमर्श और सहमति के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इससे ऐसी एजेन्सियों को स्वैच्छा से मानदण्ड अपनाने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सलाह देने और सहायता देने के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा जिन्हें वे स्वीकार्य और उपयोगी महसूस करती हैं। सरकार श्रेष्ठ प्रणाली का प्रचार करके स्वैच्छिक संगठनों के बीच शासन में श्रेष्ठता को समुचित मान्यता प्रदान करेगी।

6.3 स्वैच्छिक क्षेत्र में कार्य करनेवाले लोगों के लिए प्रशिक्षण एक निर्णायक आवश्यकता है। बहरहाल, इसकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की अनुपलब्धता के कारण प्रायः उपेक्षा की जाती है जोकि उच्च गुणवत्ता वाले और उचित मूल्य वाले होते हैं। सरकार उन संगठनों को सहायता और प्रोत्साहन देगी जो प्रार्थियों को स्वैच्छिक क्षेत्र में प्रवेश करने में और ऐसे लोगों को जो कि पहले से ही इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, को प्रशिक्षण देते हों। यह इस प्रकार की सहायता के एक उपाय के रूप में इसके प्रशिक्षण संस्थानों के पास मौजूदा रूप में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं को उपलब्ध कराएगा ।

6.4 विकास समस्याओं के संस्थागत, तकनीकी और सामाजिक अभिगमों में नवीनता लाना स्वैच्छिक कार्य का एक आवश्यक घटक है। सरकार नवीन और अग्रणी कार्य को सहायता, प्रोत्साहन और मान्यता प्रदान करेगी।

6.5 विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे स्वैच्छिक संगठनों के आंकड़े आधार (डाटाबेस) स्वैच्छिक क्षेत्र के अंतर्गत और स्वैच्छिक क्षेत्र, और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच संचार के लिए उपयोगी हैं। सरकार उपयुक्त एजेन्सियों को डाटाबेस तैयार करने और ऐसे डाटाबेस को अद्यतन बनाने का कार्य सौंपेगी।

6.6 स्वैच्छिक संगठनों के लिए सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के संबंध में सूचना प्राप्त करना अक्सर कठिन होता है। विभिन्न सरकारी एजेन्सियों की वेबसाइट को महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों और डाटाबेसेज, जिसमें परियोजना निधियन स्कीमों से भी संबंधित डाटाबेस हैं से सम्पर्क स्थापित करने के लिए पुनः अभिकल्पित किया जाएगा।

6.7 सरकार परिवार कल्याण केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अस्पतालों और स्कूलों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों जैसे सार्वजनिक सेवाओं में स्वयंसेवकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी ।

स्वैच्छिक क्षेत्र राष्ट्रीय नीति, 2007 स्वैच्छिक संगठनों की स्वायतता एवं पहचान को बिना प्रभावित करते हुए, सरकार एवं स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच एक नया कार्यशील संबंध विकसित करने की प्रक्रिया का शुभारंभ है।